13	**रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति** **(2020-21)**

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

[रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2020-12) के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतिर्वष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

तेरहवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

(2020-21)

सत्रहवीं लोक सभा

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

[रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2020-12) के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

..... को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

.....को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

फरवरी, 2021/ माघ, 1942 (शक)

विषय-सूची

समिति (2020-21) की संरचना.....		
प्राक्कथन		
प्रतिवेदन		
अध्याय - एक	प्रतिवेदन	
अध्याय - दो	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	
अध्याय - तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती	
अध्याय - चार	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के की-गई-कार्रवाई उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं	
अध्याय - पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	
परिशिष्ट		
एक.	**रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की 12.10.2020 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश**	
दो.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2020-21) पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण	

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एम बदरुद्दीन अज़मल .
.3 श्री रमाकान्त भार्गव
.4 श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
.5 श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा
.6 श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
.7 श्री कृपानाथ मल्लाह
.8 श्री सत्यदेव पचौरी
.9 श्रीमती अपरूपा पोद्दार
.10 श्री अरुण कुमार सागर
.11 सेल्वराज .श्री एम
.12 श्री प्रदीप कुमार सिंह
13. श्री उदय प्रताप सिंह
.14 श्री नंदीगम सुरेश
.15 इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु
.16 श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
.17 विष् .के .एम .डॉणु प्रसाद
.18 श्री दीपक बैज
.19 मनोज राजोरिया .डॉ
.20 श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल
.21 रिक्त[$]

राज्य सभा

22. श्री जी चन्द्रशेखर .सी.
.23 अनिल जैन .डॉ
.24 श्री अहमद अशफाक करीम
.25 श्री विजय पाल सिंह तोमर
.26 श्री अरूण सिंह
.27 अंतियुर .श्री पीसेल्वरासू[^]
.28 सिंह .डी.श्री ए[^]
.29 वेंलेल्वना .श्री के[^]
.30 रिक्त[*]
.31 रिक्त

सचिवालय

.1	अरोड़ा .श्री मनोज कु	-	विशेष कार्य अधिकारी
.2	श्रीवास्तव .के.श्री ए	-	निदेशक
.3	कल्याणसुन्दरम .श्री सी	-	अपर निदेशक
.4	श्रीगगन कुमार	-	समिति अधिकारी

[^] दिनांक 22.07.2020 को समिति से नामनिर्दिष्ट

[*] श्री अमर सिंह का 01.08.2020 को निधन

[$] श्री एच. वसंतकुमार का 28.08.2020 को निधन

प्राक्कथन

मैं, सभापति, रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2020-21) समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए अधिकृत किए जाने पर रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का छठा प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) 20.03.2020 को लोक सभा में पेश किया गया था और 20.03.2020 को राज्यसभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार के की-गई-कार्रवाई उत्तर 30.06.2020 को प्राप्त हुए। रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2020-21) ने 12.10.2020 को आयोजित अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति के बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण **परिशिष्ट–दो** में दिया गया है।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की आगे की टिप्पणियां प्रतिवेदन के **अध्याय-1** में मोटे अक्षर में मुद्रित की गयी हैं।

नई दिल्ली; **कनिमोझी करुणानिधि**

. 8 फरवरी, 2020 **सभापति**

19 माघ, 1942 (शक) **रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति**

प्रतिवेदन

अध्याय 1

1.1 लोक सभा में 20.03.2020 को प्रस्तुत किया गया रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2020-2021)" विषयक रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में है। समिति ने प्रतिवेदन में कुल 15 टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं।

1.2 रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) से छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर अर्थात् 20.03.2020 तक उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) से कार्यालय ज्ञापन संख्या 23011/2/2020-आईएफडी-सीपीसी, दिनांक 29.06.2020 के द्वारा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट 15 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के की-गई-कार्रवाई उत्तर प्राप्त हुए हैं। इन उत्तरों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है :

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:
सिफा. सं .1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13 और 14

(कुल-09)

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती:
सिफा. सं. 4 (कुल-01)

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:
सिफा. सं. 12 (कुल–01)

(iv) **टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं**
सिफा. सं. 6, 7, 9 और 15 (कुल-04)

1.3 समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्यायएक- और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों सिफारिशों/संबंधी की-गई-कार्रवाई टिप्पण के संबंध में अंतिम उत्तर शीघ्रातिशीघ्र अर्थात् इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर प्रस्तुत किए जाएं।

1.4 समिति अब उन टिप्पणियों/सिफारिशों पर कार्रवाई करेगी जिन्हें दोहराए जाने अथवा टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है।

सिफारिश संख्या 1

रसायन और पेट्रोरसायन का उत्पादन

1.5 रसायन और पेट्रो रसायन की बढ़ती घरेलू आवश्यकता और रसायन और पेट्रोरसायन के आयात पर खर्च विदेशी मुद्रा में वृद्धि का उल्लेख करते हुये समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की थी- :

समिति यह नोट करती है कि रसायन उद्योग गहन जानकारी के साथ-साथ गहन पूंजी वाला उद्योग भी है और यह बढ़ते भारतीय उद्योग का एक अभिन्न अंग है। इसमें रसायन और इसके उत्पाद, पेट्रोरसायन, पेंट्स, वार्निश, गैस, साबुन, इत्र, टॉयलेटरी आदि शामिल हैं। रसायन उद्योग में बहुत विविधता है और इसमें अस्सी हजार से अधिक वाणिज्यिक उत्पाद शामिल हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान देश में रसायन एवं पेट्रोरसायन के उत्पादन और खपत का अनुमान क्रमशः 51,241 मीट्रिक टन और 59,202 मीट्रिक टन है। उत्पादन और खपत के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। 2018-19 के दौरान, देश ने 3.95 लाख करोड़ रु. के रसायनों और पेट्रोरसायनों का आयात किया है। चूँकि देश की आवश्यकताओं के अनुसार रसायनों और पेट्रोरसायनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और आयातों पर भारी व्यय को कम करना बहुत आवश्यक है, इसलिए समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की :-

(i) सरकार को देश में उपयोग के लिए आयात किए जाने वाले रसायनों और पेट्रोरसायनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय शुरू करने चाहिएं।

(ii) चूंकि यह एक भारी पूंजी से जुड़ा उद्योग है, इसलिए इस क्षेत्र में भारी निवेश आकर्षित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और मंजूरी देने में देरी को कम किया जाना चाहिए।

(iii) विश्व स्तर के बुनियादी ढाँचे के साथ देश में विश्व स्तरीय क्षमता वाले संयंत्र स्थापित करने के लिए सभी पहलें की जानी चाहिए।

(iv) (देश में क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ घरेलू इकाइयों की क्षमता उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। मौजूदा संयंत्रों की क्षमता उपयोग बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

सरकार का उत्तर:

1.6 समिति की उपरोक्त सिफारिश के उत्तर: में, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने निम्नानुसार बताया था: -

(i) सरकार ने देश में रसायनों और पेट्रोरसायन के उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। यह उद्योग औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली से मुक्त है; नए उपक्रम स्थापित करने या उद्योग के पर्याप्त विस्तारीकरण के लिए डीपीआईआईटी से केवल आईईएम प्राप्त किए जाने की आवश्यकता होती है। आरबीआई की ऑटोमेटिक फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट की पहल के तहत रसायन और पेट्रोरसायन की नवीनतम और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की उदारतापूर्वक अनुमति दी जाती है और निकटस्थ राष्ट्रों (कन्टिगुअस नेशन्स) को छोड़कर ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। सरकार ने कॉरपोरेट कर की दर कम कर दी है और लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया है। इन उपायों के कारण यह आशा की जाती है कि उद्योग इस सेक्टर में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में आगे प्रगति करेगा।

(ii) विश्व स्तर की क्षमता वाले संयंत्रों की स्थापना करने, व्यापार करना आसान बनाने हेतु भारी निवेश को आकर्षित करने के लिए हाल के दिनों में पहले ही कई पहलें की जा चुकी हैं। उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान के लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में एडवाइजरी फोरम की स्थापना की गई है। यह विभाग विश्व के अग्रणी उद्योगपतियों के साथ निरंतर जुड़ा हुआ है, ताकि उन्हें भारत में विश्व स्तर के संयंत्र स्थापित करने में सुविधा प्रदान की जा सके। निवेश क्षेत्रों में एकीकृत शीर्ष-स्तरीय बुनियादी ढाँचा प्रदान करने लिए पीसीपीआईआर नीति की घोषणा की जा चुकी है। सभी पहलों को और सुदृढ़ किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र में उच्च प्रतिस्पर्धा और अधिक विकास प्राप्त करने में योगदान देगा।

(iii) वर्तमान में, विश्व स्तरीय क्षमता/बुनियादी ढाँचे की सभी एकीकृत/स्टैंडअलोन पेट्रोरसायन परिसरों की योजना बनाई जा रही है/स्थापना की जा रही है, क्योंकि विश्व स्तर की क्षमता से नीचे के परिसरों की कोई लाभप्रदता नहीं है।

(iv) जहां भी संयंत्र की कम क्षमता का उपयोग होता है और संयंत्र में निर्मित उत्पादों को देश में आयात किया जाता है; उन पर आयात पर प्रतिबंध के लिए भी विचार किया जा रहा है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)
[संदर्भ: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का का.ज्ञा. सं. 23011/2/2020-वित्त, तिथि: 30.06.2020]

समिति की आगे की टिप्पणी

1.7 समिति विभाग द्वारा दिए गए उत्तर से नोट करती है कि सरकार ने देश में रसायनों और पेट्रो रसायन के उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे रासायनिक और पेट्रोरसायन उद्योग ज्यादातर औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था से मुक्त है, रसायन और पेट्रोकेमिकल की नवीनतम और अत्याधुनिक तकनीक को आरबीआई की स्वत: विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते की पहल के तहत स्वतंत्र रूप से अनुमति है और पड़ोसी देशो के अलावा स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की भी अनुमति है। इसके अलावा सरकार ने कॉर्पोरेट कर की दर कम कर दी है और लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया है। विभाग ने यह भी बताया है कि यह भारत में विश्व स्तर के संयंत्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अग्रणी वैश्विक निर्माताओं के साथ बातचीत कर रहा है। इस संबंध में, समिति ने विभाग से आग्रह किया है कि कोविड -19 के इस महामारी के कारण वे परिवर्तित वैश्विक परिदृश्य में इस बातचीत को विशेष रूप से बहुत ही आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाएं और भारत में व्यापार करने की सुविधा पर बल दें क्योंकि अभी वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित करने के अवसर हैं जो अपने उत्पादन ठिकानों को स्थानांतरित करना चाहते हैं। समिति आगे नोट करती है कि उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मंत्री (C & F) की अध्यक्षता में एक सलाहकार फोरम की स्थापना की गई है। इस संबंध में, समिति इस मंच द्वारा अब तक की गई उपलब्धियों से अवगत होना चाहेगी, ताकि उद्योग अब तक जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनका समाधान किया जा सके। विभाग ने अपने उत्तर में आगे बताया कि जहां भी संयंत्र की क्षमता का कम उपयोग होता है और देश में निर्मित उत्पादों का आयात किया जाता है; वहाँ आयात पर प्रतिबंध के लिए भी विचार किया जा रहा है। जिन उत्पादों के लिए देश में उत्पादन क्षमता उपलब्ध है उनके आयात पर प्रतिबंध के माध्यम से घरेलू निर्माताओं को संरक्षण देने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए इस रुख की

सराहना करते हुए समिति सिफारिश करती है कि विभाग को संयंत्रों की कम क्षमता के उपयोग के कारणों पर ध्यान देना चाहिए और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि घरेलू विनिर्माण उद्योग अपनी स्थापित क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर सकें और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

सिफारिश संख्या 12

प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन केंद्रों (डब्ल्युएमसीएस) का स्थापित किया जाना

1.8 शहरों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की आवश्यकता को देखते हुए, समिति ने अनुमोदित चार पीडब्लूएमसी की स्थापना में तेजी लाने के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए इच्छा व्यक्त की थी और निम्नानुसार सिफारिश की थी: -

" समिति यह नोट करती है कि सिपेट के चार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (डब्ल्युएमसीएस) अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना और वाराणसी केंद्रों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। विभाग ने इन डब्ल्यूएमसीएस की स्थापना के लिए वित्त मंत्रालय से 2019- 20 के दौरान 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मांगी लेकिन यह प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में डब्ल्यूएमसीएस के लिए भूमि की पहचान करने का कार्य प्रगति पर है। इस संबंध में, समिति का मानना है कि शहरों में दैनिक रूप से बड़ी मात्रा में संचित हो रहे कचरे, विशेष रूप से प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करने के लिए डब्ल्युएमसीएस बहुत आवश्यक है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग और सिपेट द्वारा इन चार डब्ल्युएमसीएस को समयबद्ध तरीके से स्थापित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। वित्त मंत्रालय को इन केंद्रो के महत्व के बारे में अवगत कराकर इस उद्देश्य के लिए वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान/अनुपूरक मांग में बजटीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इस्के अलावा देश के अन्य शहरों में भी डब्ल्युएमसीएस स्थापित करने के लिये कदम उठाए जाने चाहिए।

सरकार का उत्तर

1.9 समिति की उपरोक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने निम्नानुसार बताया था: -

"प्लास्टिक से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों का हल करने के लिए, भारत सरकार ने देश में अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना और वाराणसी में चार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (पीडब्ल्यूएमसी) को मंजूरी दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर जागरूकता पैदा करना, अंतिमउपयोगवालेप्रयोग के लिए कम लागत वाले रीसाइकिल किए गए प्लास्टिक मैटेरियल ग्रेडों को बढ़ावा देना, प्लास्टिक रीसाइक्लिंग में उद्यमी विकास, प्रसंस्करणकर्ताओं के साथ कचरा उठाने वालों को जोड़ना, रीसाइक्लिंग तकनीक के क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से जनशक्ति विकास, कचरे से धन की अवधारणाओं का उपयोग करके व्यापार और रोजगार के अवसर पैदा करना और देश में प्लास्टिक कचरे के निपटान के मुद्दे से निपटने के लिए तकनीकी रूप से मदद करना भी है।

स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श से सिपेट अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना और वाराणसी में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों (पीएमडब्ल्यूसी) की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने की प्रक्रिया में है। "

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)
[संदर्भ: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का का.ज्ञा. सं. 23011/2/2020-वित्त, तिथि: 30.06.2020]
(रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति)

समिति की आगे की टिप्पणी

1.10 समिति यह नोट कर चिंतित है कि विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना और वाराणसी में चार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (पीडब्ल्यूएमसीएस) की स्थापना के संबंध में समिति द्वारा की गई सिफारिशों का पूरी तरह अनुपालन नहीं किया है। सिफारिशों में इन केंद्रों की स्थापना करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने, इन केन्द्रों की स्थापना और अन्य शहरों में ऐसे और केन्द्रों की स्थापना के लिए आवश्यक बजटीय आवंटन पर जोर दिया गया था। तथापि, चार पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना में शून्य प्रगति या बहुत कम प्रगति हुई है क्योंकि विभाग ने एक ही उत्तर दिया है कि सीआईपीईटी, स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श से चारों शहरों में पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, विभाग द्वारा दिए गए उत्तर में बजटीय आवंटन और देश के अन्य शहरों में ऐसे और अधिक केन्द्र खोलने के संबंध में की गई सिफारिश के

अन्य पहलुओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। देश में प्लास्टिक कचरे की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और इससे उत्पन्न पर्यावरणीय खतरों को देखते हुए प्लास्टिक कचरे का प्रभावी प्रबंधन करना नगर निकायों के सामने एक बड़ी चुनौती है। इन पीडब्ल्यूएमसीएस की स्थापना में इस तरह की देरी से इन केंद्रों के लिए परिकल्पित लक्ष्यों जैसे कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना, अंत प्रयोग के लिए लागत प्रभावी पुन:चक्रित प्लास्टिक सामग्री ग्रेड को बढ़ावा देना, प्लास्टिक रीसाइक्लिंग में उद्यमी का विकास, प्रसंस्करणकर्ताओं के साथ कचरा उठाने वालों को जोड़ना, रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से जनशक्ति विकास , देश में 'वेस्ट टु वेल्थ' अवधारणाओं का उपयोग कर व्यापार और रोजगार के अवसर पैदा करना आदि को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा । चूंकि सभी शहरों में इन केंद्रों का एक मजबूत नेटवर्क समयबद्ध तरीके से तैयार करना बहुत जरूरी है, समिति पूर्ववर्ती सिफारिशों को दोहराती है कि विभाग संबंधित राज्य सरकारों के साथ भूमि की पहचान करने का मुद्दा उच्चतम स्तर पर उठाकर एक निश्चित समय सीमा के भीतर सभी चार पीडब्ल्यूएमसी स्थापित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करे, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बजटीय आवंटन की अपेक्षित राशि इस वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदानों की अनुपूरक मांगों के माध्यम से प्राप्त करे और देश के और अधिक शहरों में इन केंद्रों को स्थापित करने के कार्य को गंभीरता से करे । उपरोक्त सिफारिशों पर की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए।

सिफारिश सं.13

इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉर्म्यूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी)

1.11 इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉर्म्यूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) के महत्व और क्षमता को देखते हुए, समिति ने निम्नानुसार सिफारिश की थी- :

" समिति यह नोट करती है कि इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉर्म्यूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) देश का सुरक्षित पर्यावरण के लिए नवीन और पर्यावरण-अनुकूल नई पीढ़ी के कीटनाशक तैयार करने की तकनीकी विकास तथा साथ ही कीटनाशकों और उनके अवशिष्टों का पता लगाने और विश्लेषण करने के तरीके विकसित करने में समर्पित अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। कीटनाशक अवशिष्टों का पता लगाने के लिए मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण की वर्तमान और भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोगशाला उपकरणों का क्रय करने में संस्थान को सक्षम बनाने के लिए बजट अनुमान 2020-21 में 11 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई राशि प्रदान की गई है। समिति का विचार है कि इस संस्थान की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए और समिति निम्नलिखित सिफारिशें करना चाहेगी:-

I. संस्थान को किसानों के उपयोग के लिए पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी कीटनाशकों का विकास करना चाहिए। पूरे देश में सिंथेटिक कीटनाशकों की जगह जैव कीटनाशक विकसित किए जाने चाहिए।

II. देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मिट्टी और जल निकायों में कीटनाशकों के अवशिष्टों की मात्रा का विश्लेषण/परीक्षण किया जाना चाहिए और किसानों को विशेष रूप से फसल की खेती के लिए सही मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियां अपनाने हेतु शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर उचित उपाय किए जाने चाहिए।

III. विभाग को इस संस्थान की और अधिक शाखाएँ खोलने की व्यवहार्यता की जाँच करनी चाहिए जिससे कि देश के चारों क्षेत्रों में कम-से-कम एक संस्थान का संचालन हो सके ताकि समयबद्ध तरीके से मिट्टी और पानी का विश्लेषण किया जा सके।

सरकार का उत्तर:

1.12 समिति की उपरोक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने निम्नानुसार बताया था: -

(i) पारंपरिक और विलायक-आधारित फॉर्मूलेशनों के जोखिम और नुकसान को कम करने के लिए, आईपीएफटी ने विभिन्न उपयोगकर्ता और पर्यावरण के अनुकूल नई जेनरेशन के फॉर्मूलेशन तैयार किए हैं, जैसे सस्पेंशन कॉन्सनट्रेट्स, वॉटर डिसपर्सिबल ग्रेन्यूल्स, कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मूलेशन, कॉन्सेंट्रेटेड और माइक्रो-इमल्शन, स्प्रेडिंग फॉर्मूलेशन, सस्पो-इमल्सन, माइक्रो और नैनो एनकैप्सुलेशन, जेल और टैबलेट फॉर्मूलेशन, बायो-बॉटनिकल पेस्टिसाइड फॉर्मूलेशन।

नई जेनरेशन के फॉर्मूलेशन वांछित जैव-प्रभावकारिता प्रदान करते हैं और पारंपरिक और विलायक-आधारित फॉर्मूलेशनों के उपयोग से जुड़े नुकसान और समस्याओं को कम करते हैं। इन फॉर्मूलेशनों में कोई विलायक नहीं होता है या न्यूनतम होता है, इसलिए, उपयोगकर्ता के लिए सुरक्षित होता है और खतरों को पैदा नहीं करता है। डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट के बारीक आकार कीटनाशकों की समान या निम्न खुराक पर लक्षित कीटों पर बहुत अच्छी जैव-प्रभावकारिता प्रदान करते हैं। ये फॉर्मूलेशन त्वचा की विषाक्तता, ज्वलनशीलता और फाइटोटॉक्सिसिटी और खाद्य उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों के जोखिम को कम करते हैं। आईपीएफटी ने नई पीढ़ी के फॉर्मूलेशनों की 65 तकनीकों का सफलतापूर्वक विकास किया है। व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई तकनीकों को विभिन्न उद्योगों को हस्तांतरित किया गया है।

आईपीएफटी द्वारा विकसित ये फॉर्मूलेशन पारंपरिक कीटनाशक फॉर्मूलेशनों के उपयोग के कारण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों से सुरक्षा करते हैं। इन फॉर्मूलेशनों से किसानों को स्थायी कृषि में मदद मिलेगी।

(ii) कृषि और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशकों के उपयोग से उनके अवशेष सतह और भूजल संसाधनों में मौजूद हो सकते हैं। साथ ही, पर्यावरण में रिलीज हुए कीटनाशकों की अतिरिक्त मात्रा को विषाक्त पदार्थ माना जाता है। प्रदूषण न केवल एग्रोकेमिकल्स के वर्तमान उपयोग के कारण होता है, बल्कि मिट्टी से उर्वर तत्वों की लीचिंग के कारण भी होता है। किसी विशेष क्षेत्र में सतह के पानी का कीटनाशक संदूषण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे फसल के खेतों की सतह के पानी के साथ निकटता, आसपास के खेतों की विशेषताएं और जलवायु की स्थिति।

आईपीएफटी पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा में बागवानी के लिए पानी और मिट्टी में कीटनाशक अवशेषों का विश्लेषण पहले से ही कर रही है। संस्थान के पास ऐसी सुविधाएँ हैं जहाँ कृषकों को एग्रीकल्चरल गुड प्रैक्टिसेज़ के अनुसार एग्रोकेमिकल्स के उद्देश्यपूर्ण उपयोग के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित किया जा सकता है।

आईपीएफटी की क्षमताओं और उद्देश्यों व इस संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने के विचार से कृषक समुदाय और जीवित प्राणियों की बेहतरी के लिए "राजस्थान की कृषि उपज में कीटनाशक अवशेषों की निगरानी" नामक एक मेगा परियोजना को मंजूरी दी है।

(iii) मंत्रालय भारत के विभिन्न हिस्सों में आईपीएफटी खोलने की संभावना का पता लगाएगा, ताकि वह समयबद्ध तरीके से मिट्टी और जल का विश्लेषण करने में समर्थ हो सके।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)
[संदर्भ: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का का.ज्ञा. सं. 23011/2/2020-वित्त, तिथि: 30.06.2020]
(रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति)

समिति की आगे की टिप्पणी

1.13 समिति इस बात से संतुष्ट है कि इंस्टीट्यूटऑफ पेस्टीसाइड्स फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) ने विभिन्न उपयोगकर्ता और पर्यावरण अनुकूल नई पीढ़ी के कीटनाशक विकसित किए हैं जो खाद्य उत्पादों में स्किन टॉक्सिसिटी, ज्वलनशीलता और फाइटोटोक्सिसिटी और कीटनाशक अवशिष्ट के खतरे को कम करते हैं। आईपीएफटी ने नई पीढ़ी के कीटनाशकों संबंधी 65 प्रौद्योगिकियां सफलतापूर्वक विकसित की हैं। इनमें से कई प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यिक उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्योगों को हस्तांतरित किया गया है। समिति चाहती है कि उसे इन हस्तांतरित प्रौद्योगिकियों की स्थिति और क्या इन कीटनाशकों का उपयोग कृषि उत्पादन, कृषि कार्य में किया जा रहा है तथा किसानों को इससे प्राप्त हुए लाभ से अवगत कराया जाए। समिति यह नोट करती है कि आईपीएफटी पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा में बागवानी के लिए पानी और मिट्टी में कीटनाशक अवशिष्ट का विश्लेषण कर रहा है और राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य में कृषक समुदाय और जीवित प्राणियों की बेहतर स्थिति के लिए राजस्थान के कृषि उत्पादों में कीटनाशक अवशिष्ट की निगरानी नामक एक मेगा परियोजना को मंजूरी दी है। समिति का मानना है कि मानव स्वास्थ्य और चिरस्थायी कृषि को ध्यान में रखते हुए देश के सभी हिस्सों में कृषि उपज, पानी और मिट्टी में कीटनाशकों के अवशिष्ट की नियमित निगरानी की जरूरत है। इसलिए देश के अन्य भागों में और अधिक आईपीएफटी शाखाएं खोलने की आवश्यकता है। इससे न केवल कीटनाशकों के अवशिष्ट की क्षमता की निगरानी में वृद्धि होगी, बल्कि यह अच्छी कृषि पद्धतियों के अनुसार कृषि रसायनों के उद्देश्यपूर्ण उपयोग में किसानों की शिक्षा और प्रशिक्षण सहित देश के विभिन्न भागों में किसानों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करेगा। इस संबंध में समिति विभाग द्वारा दिए गए उत्तर को नोट करती है कि वह देश के विभिन्न हिस्सों में आईपीएफटी खोलने की संभावनाएं तलाशेगी। समिति इस मामले में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

सिफारिश संख्या 14

यूसीआईएल, भोपाल में जहरीले कचरे को हटाना

1.14 समिति ने यूसीआईएल परिसर में पड़े जहरीले कचरे के निपटान के महत्वपूर्ण मुद्दे पर असंतोषजनक कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त करते हुए निम्नानुसार सिफारिश की थी: -

“ समिति यह नोट करके अत्यधिक चिंतित है कि भोपाल गैस रिसाव आपदा के **35** साल बाद भी विषैले कचरे का बड़ा ढेर अभी भी यूसीआईएल स्थल पर पड़ा हुआ है। इसे किसी कारण से निपटाया नहीं जा सका है। विषाक्त अपशिष्ट भूजल को दूषित कर सकता है और क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरा है। इस संबंध में**,** समिति यह नोट करती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत एक परीक्षण किया गया**,** जिसमें **350** मीट्रिक टन कचरे में से **10** मीट्रिक टन कचरे को जलाने का कार्य किया गया जो सफल रहा। इस संदर्भ में**,** समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि भारत सरकार को यूसीआईएल स्थल पर पड़े शेष जहरीले अपशिष्टों के निपटान के मामले को उठाना चाहिए और राज्य सरकार के साथ स्थल की रिमेडिएशन को और अधिक तेजी-से वर्ष **2020** के भीतर ही पूरा करना चाहिए। समिति यह महसूस करती है कि त्रासदी के **35** साल बाद भी जहरीले कचरे का निपटान केंद्र सरकार के शिथिल रवैये को दर्शाता है क्योंकि यह उचित समय है कि सफल इंसिनरेशन परीक्षण के मद्देनजर जहरीले कचरे का निपटान किया जाए।

सरकार का उत्तर:

1.15 समिति की उपरोक्त सिफारिश के उत्तर में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने निम्नानुसार बताया था: -

‘‘ वर्ष 2010 में लिए गए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार खतरनाक कचरे के निपटान और भोपाल में तत्कालीन यूसीआईएल संयंत्र की मरम्मत के लिए जिम्मेदार होगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने में मध्य प्रदेश सरकार को निरीक्षण और सहायता प्रदान करने के लिए ओवरसाइट कमिटी का गठन किया था। ओवरसाइट कमिटी केवल तब ही ओवरसाइट और तकनीकी सहायता प्रदान कर सकती है, जब उसके समक्ष विचार के लिए मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव हो। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने राज्य सरकार के साथ बार-बार इस मुद्दे को उठाया है। सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की अध्यक्षता में 9 दिसंबर, 2019 को आयोजित समीक्षा बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश सरकार कचरे के निपटान के मुद्दे को सुलझाने के लिए उच्चतम स्तर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र लिखेगी। बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।‘

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)
[संदर्भ: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का का.ज्ञा. सं. 23011/2/2020-वित्त, तिथि: 30.06.2020]
(रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति)

समिति की अन्य टिप्पणियां

1.16 समिति इस बात से निराश है कि त्रासदी के 36 वर्षों बाद भी भोपाल में यूसीआईएल परिसर में पड़े विषैले कचरे के निस्तारण के मामले के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा बार-बार भेजे गए अनुस्मारक के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। वर्ष 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार खतरनाक कचरे के निपटान और पूर्ववर्ती यूसीआईएल संयंत्र के रिमेडिएशन के लिए जिम्मेदार होगी। तथापि, यह गंभीर चिंता का विषय है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के उस निर्णय के 10 वर्षों के बाद भी इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है, बावजूद इसके कि यूसीआईएल परिसर में पड़ा विषैला कचरा आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरा है । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर 10 मीट्रिक टन विषैले कचरे को सफलतापूर्वक जलाए जाने के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि शेष 340 मीट्रिक टन विषैले कचरे का निस्तारण उसी तरह किया जा सकता है लेकिन इस ऐतिहासिक त्रासदी से हुई तबाही को जानने के बावजूद अब तक कचरे के निस्तारण के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई और हजारों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ । यदि राज्य सरकार क्षेत्र के विषैले कचरे के निपटान में या उसके रिमेडिएशन में रुचि नहीं ले रही या इसके लिए कदम उठाने में असमर्थ है, तो यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यूसीआईएल परिसर में पड़े विषैले कचरे के शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक उपाय करे । अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में नए सिरे से फैसले के लिए इस मामले को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाए। इस संबंध में की गई प्रगति से समिति को अवगत कराया जाए।

अध्याय-2

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश क्रम संख्या 1

रसायन और पेट्रोरसायन का उत्पादन

2.1 रसायन और पेट्रोरसायन की बढ़ती घरेलू आवश्यकता और रसायन तथा पेट्रोरसायन के आयात पर वृद्धिकारी विदेशी मुद्रा व्यय का उल्लेख करते हुए समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी :-

समिति यह नोट करती है कि रसायन उद्योग जानकारी युक्त के साथ-साथ पूंजी से जुड़ा उद्योग भी है और यह बढ़ते भारतीय उद्योग का एक अभिन्न अंग है। इसमें रसायन और इसके उत्पाद, पेट्रोरसायन, पेंट्स, वार्निश, गैस, साबुन, इत्र, टॉयलेटरी आदि शामिल हैं। रसायन उद्योग में बहुत विविधता है और इसमें अस्सी हजार से अधिक वाणिज्यिक उत्पाद शामिल हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान देश में रसायन एवं पेट्रोरसायन के उत्पादन और खपत का अनुमानक्रमशः 51,241 मीट्रिक टन और 59,202 मीट्रिक टन है। उत्पादन और खपत के बीच अंतराल को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। 2018-19 के दौरान, देश ने 3.95 लाख करोड़ रु. के रसायनों और पेट्रोरसायनों का आयात किया है। चूँकि देश की आवश्यकताओं के अनुसार रसायनों और पेट्रोरसायनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और आयातों पर भारी व्यय को कम करना बहुत आवश्यक है, इसलिए समिति निम्नलिखित सिफारिश करती है:-

(i) सरकार को देश में उपयोग के लिए आयात किए जाने वाले रसायनों और पेट्रोरसायनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय शुरू करने चाहिएं।

(ii) चूंकि यह एक पूंजी से जुड़ा उद्योग है, इसलिए इस क्षेत्र में भारी निवेश आकर्षित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और मंजूरी देने में देरी को कम किया जाना चाहिए।

(iii) विश्व स्तर के बुनियादी ढाँचे के साथ देश में विश्व स्तरीय क्षमता वाले संयंत्र स्थापित करने के लिए सभी पहलें की जानी चाहिए।

(iv) देश में क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ घरेलू इकाइयों की क्षमता उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। मौजूदा संयंत्रों की क्षमता उपयोग बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

सरकार का उत्तर

2.2 समिति की उपरोल्लिखित सिफारिश के उत्तर में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने निम्नवत बताया था :-

(iv) सरकार ने देश में रसायनों और पेट्रोरसायन के उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। यह उद्योग औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली से मुक्त है; नए उपक्रम स्थापित करने या उद्योग के पर्याप्त विस्तारीकरण के लिए डीपीआईआईटी से केवल आईईएम प्राप्त किए जाने की आवश्यकता होती है। आरबीआई की ऑटोमेटिक फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट की पहल के तहत रसायन और पेट्रोरसायन की नवीनतम और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की उदारतापूर्वक अनुमति दी जाती है और निकटस्थ राष्ट्रों (कन्टिगुअस नेशन्स) को छोड़कर ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। सरकार ने कॉरपोरेट कर की दर कम कर दी है और लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया है। इन उपायों के कारण यह आशा की जाती है कि उद्योग इस सेक्टर में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में आगे प्रगति करेगा।

(v) विश्व स्तर की क्षमता वाले संयंत्रों की स्थापना करने, व्यापार करना आसान बनाने हेतु भारी निवेश को आकर्षित करने के लिए हाल के दिनों में पहले ही कई पहलें की जा चुकी हैं। उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान के लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में एडवाइजरी फोरम की स्थापना की गई है। यह विभाग विश्व के अग्रणी उद्योगपतियों के साथ निरंतर जुड़ा हुआ है, ताकि उन्हें भारत में विश्व स्तर के संयंत्र स्थापित करने में सुविधा प्रदान किया जा सके। निवेश क्षेत्रों में एकीकृत शीर्ष-स्तरीय बुनियादी ढाँचा प्रदान करने लिए पीसीपीआईआर नीति की घोषणा की जा चुकी है। सभी पहलों को और सुदृढ़ किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र में उच्च प्रतिस्पर्धा और अधिक विकास प्राप्त करने में योगदान देगा।

(vi) वर्तमान में, विश्व स्तरीय क्षमता/बुनियादी ढाँचे की सभी एकीकृत/स्टैंडअलोन पेट्रोरसायन परिसरों की योजना बनाई जा रही है/स्थापना की जा रही है, क्योंकि विश्व स्तर की क्षमता से नीचे के परिसरों की कोई लाभप्रदता नहीं है।

(vii) जहां भी संयंत्र की कम क्षमता का उपयोग होता है और संयंत्र में निर्मित उत्पादों को देश में आयात किया जाता है, उन पर आयात पर प्रतिबंध के लिए भी विचार किया जा रहा है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

[संदर्भ: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का का.ज्ञा. सं. 23011/2/2020-वित्त, तिथि: 30.06.2020]

(रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति)

सिफारिश संख्या 2

रसायनों और पेट्रो रसायनों के कर स्ट्रेक्चर की समीक्षा

2.3 विचार-विमर्श के दौरान बार-बार यह नोट किया गया कि कई उत्पाद श्रेणियों में, भारतीय निर्माता विभिन्न देशों के सस्ते आयातों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हैं। चूंकि रसायन और पेट्रो-रसायन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यह बात महत्वपूर्ण है कि घरेलू निर्माताओं के लिए टैरिफ संरक्षण के मुद्दे पर पुन: विचार किया जाए। समिति ने पुरजोर सिफारिश की है कि विभाग को बढ़े हुए घरेलू उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से रसायन और पेट्रो-रसायन क्षेत्र पर लागू जीएसटी और कस्टम संबंधी सीमा शुल्क के स्ट्रक्चर की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समूह का गठन करना चाहिए। समिति में वित्त मंत्रालय, निजी क्षेत्र और उद्योग मंडलों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। इस समूह को 8 सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ तत्काल गठित किया जाना चाहिए। समिति चाहती है कि इस पर विभाग एक पृथक की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन तैयार करे।

सरकार का उत्तर

2.4 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग प्रत्येक वर्ष सेक्टर के विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त ड्यूटी स्ट्रक्चर की सिफारिश करने के लिए उद्योग संघों से सलाह लेता है। वर्ष 2020-21 के लिए बजट-पूर्व प्रस्ताव उद्योग संघों के साथ परामर्श के बाद तैयार किया गया था और निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर राजस्व विभाग को प्रस्तुत किया गया था:

(i) सामान्य तौर पर, जहां घरेलू क्षमता और मांग के बीच अंतर बहुत कम है, क्षमता उपयोग कम है, यह बीसीडी (बेसिक कस्टम ड्यूटी) में वृद्धि का प्रस्ताव कर सकता है। ऐसे मामलों में, जहां क्षमता और मांग के बीच अंतर बहुत अधिक है, क्षमता निर्माण के लिए नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बीसीडी में प्रगतिशील वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है।

(ii) बुनियादी फीडस्टॉक/बिल्डिंग ब्लॉक्स पर बीसीडी को न्यूनतम रखा जाना प्रस्तावित है। इंटरमीडिएट्स पर बीसीडी को बहुत अधिक रखा जाता है। तैयार उत्पादों पर बीसीडी इंटरमीडिएट्स के लिए लागू बीसीडी से अधिक रखी गई है। बजट प्रस्तावों को तैयार करते समय अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों उत्पादों के भावी वृद्धि और विकास को ध्यान में रखा जाता है। इस तथ्य पर भी उचित ध्यान दिया जाता है कि हमारे प्रस्तावों के कारण कोई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होना चाहिए। वहां यह स्पष्ट है कि हमारे बजट प्रस्तावों को तैयार करने में उचित परिश्रम किया गया है। यह प्रस्तावित है कि वाणिज्य विभाग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और राजस्व विभाग के साथ परामर्श के बाद वर्ष 2020-21के लिए बजट प्रस्ताव तैयार करते समय स्थायी समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार एक 'उच्च स्तरीय समूह' का गठन किया जाए।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

[संदर्भ: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का का.ज्ञा. सं. 23011/2/2020-वित्त, तिथि: 30.06.2020]

(रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति)

सिफारिश संख्या 3

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग का बजट आवंटन

2.5 समिति ने यह नोट किया है कि रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के लिए बजट अनुमान वर्ष के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित 227.56 करोड़ रुपए के मुकाबले 218.34 करोड़ रुपए है। भोपाल गैस रिसाव आपदा (31.80 करोड़ रुपये), केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग संस्थान (98.25 करोड़ रुपये) और कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (11 करोड़ रुपये) के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान (2020-21) पूरी तरह से बिना किसी कटौती के आवंटित किया गया है। हालांकि, "पेट्रोरसायन की नई योजनाएं" के लिए आवंटन, जिसके तहत दो उप-योजनाओं अर्थात् "प्लास्टिक पार्कों की स्थापना" और "पॉलिमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना", के लिए निधि की आवश्यकता में प्रस्तावित राशि 60.86 करोड़ रु. 53.79 करोड़ रु. तक कम की गई है लेकिन योजना के लिए वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के लिए वास्तविक व्यय का औसत योजना के लिए आवंटित कुल राशि का केवल 73.9% था। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को विशिष्ट योजनाओं के लिए निधियों की आवश्यकता का उचित विश्लेषण करना चाहिए और विभाग द्वारा पूरी तरह से आवंटित निधियों का उपयोग करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वित्त मंत्रालय इसकी योजनाओं के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित पूर्ण निधियों का आवंटन करने में सक्षम हो सके।

सरकार का उत्तर

2.6 विभाग ने विशिष्ट योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता के समुचित विश्लेषण के लिए समिति की सिफारिश को नोट किया है और विभाग द्वारा आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वित्त मंत्रालय विभाग द्वारा उसकी योजनाओं के लिए प्रस्तावित पूर्ण धन का आवंटन करने में सक्षम हो सके।

आगे यह सूचित किया जाता है कि बीई 2019-20 में 31.65 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की गई थी और इसका पूरी तरह से उपयोग किया गया था और उसे प्लास्टिक पार्कों/सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को उनकी प्रगति रिपोर्ट, धन का उपयोग और अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए योग्यता के आधार पर चरणों में जारी किया गया था। सभी प्लास्टिक पार्कों के विश्लेषण और अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर, प्रोग्राम डिवीजन ने बीई 2020-21 के दौरान 60.86 करोड़ रुपये की बजट आवश्यकता के लिए एक प्रस्ताव भेजा था, हालांकि इसे कम करके 53.79 करोड़ रूपए कर दिया गया। विभाग पूर्ण निधि के उपयोग के लिए सभी प्रयास करेगा।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)
[संदर्भ: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का का.ज्ञा. सं. 23011/2/2020-वित्त, तिथि: 30.06.2020]
(रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति)

सिफारिश संख्या 5
प्लास्टिक पार्कों के लिए उद्यमियों की प्रतिक्रिया

2.7 समिति यह नोट करके चिंतित है कि विशेष रूप से भूमि की उच्च लागत, कच्चे माल की उच्च लागत आदि के कारण प्लास्टिक पार्कों में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया का अभाव है। समिति इस संबंध में राज्य सरकारों को भूमि की लागत को कम करने, उद्यमियों को पट्टे/किराए के आधार पर जमीन देने, कच्चे माल आदि पर विशेष छूट प्रदान करने के लिए आश्वस्त करने हेतु विभाग द्वारा उठाए गए कदमों को नोट करती है। उद्यमियों से उचित प्रतिक्रिया के बिना सिर्फ बुनियादी ढांचे का निर्माण योजना के उद्देश्य को विफल कर देगा, अत: समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को संबंधित राज्यों पर देश की अर्थव्यवस्था के लिए इन पार्कों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जोर देना चाहिए और उन्हें आश्वस्त करने के लिए या तो जमीन की लागत को कम करना चाहिए या उद्यमियों को पट्टे / किराया आधार पर भूमि प्रदान करना चाहिए ताकि वे उन्हें वित्तीय कठिनाइयों के बिना अपनी इकाइयों को स्थापित करने के लिए सक्षम बना सकें। विभाग को प्लास्टिक पार्कों में इकाइयों को रियायती दरों पर कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भी कदम उठाने चाहिए। प्लास्टिक पार्कों में प्रचार भी उद्योग संघों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में किया जाना चाहिए ताकि प्लास्टिक पार्कों में अपनी इकाइयों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों को आकर्षित किया जा सके।

सरकार का उत्तर

2.8 विभाग इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है। प्लास्टिक पार्क वाले राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी को भूमि की लागत को कम करने या उद्यमियों को पट्टे/किराया आधार पर भूमि प्रदान करने की सलाह दी जा रही है, ताकि उन्हें वित्तीय कठिनाइयों के बिना अपनी इकाइयों को स्थापित करने में सक्षम बनाया जा सके, जो राज्य के दीर्घकालिक हित में है। इसके परिणामस्वरूप, कई प्लास्टिक पार्कों ने भूमि की कीमत काफी हद तक कम कर दी है।

विभाग ने प्लास्टिक पार्क में इकाइयां स्थापित करने के लिए एमएसएमई को समर्थन देने के लिए अपने पूर्ववर्ती पीएसयू, बीसीपीएल को भी मना लिया है। इसके परिणामस्वरूप, बीसीपीएल अब तिनसुकिया प्लास्टिक पार्क में स्थापित की जाने वाली इकाइयों के लिए अपने यहां से कच्चा माल (पॉलिमर) खरीदने पर रू. 750 मी.ट.+ रू. 500 मी.ट.की सीमा तक विशेष छूट देकर प्लास्टिक उद्योग की मदद कर रहा है।

विभाग द्वारा बैठकों के दौरान अन्य राज्य सरकारों को भी प्लास्टिक उद्योग को प्लास्टिक पार्कों में निवेश करने हेतु आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए इनसेंटिव्स देने की सलाह दी गई है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)
[संदर्भ: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का का.ज्ञा. सं. 23011/2/2020-वित्त, तिथि: 30.06.2020]
(रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति)

सिफारिश संख्या 8
एचएफएल को बंद किया जाना

2.9 समिति ने यह नोट किया है कि एचएफएल के मौजूदा परिचालन की गैर-व्यवहार्यता को देखते हुए**,** विभाग ने इसे बंद करने का एक प्रस्ताव पेशकिया और सरकार/सीसीईए ने **22.01.2020** को एचएफएल के संयंत्र/इकाई को बंद करने और कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी है। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सभी कर्मचारियों **(**स्केलटल कर्मचारियों को छोड़कर**)** को वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से अलग किया जाना है**;** गैर-वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार वापस लिया जाना है। भारत सरकार ने वीआरएस/वीएसएस व्यय सहित तत्काल बंद करने संबंधी देनदारियों को निपटाने और स्केलटल कर्मचारियों के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए एचएफएल को **77.20** करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। समिति ने यह नोट किया है कि **77.20** करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण जारी नहीं किया गया है और **2020-21** के बजट अनुमान में कोई आवंटन भी नहीं किया गया है। इसके मद्देनजर**,** समिति एचएफएल के कर्मचारियों के भाग्य के बारे में चिंतित है और सिफारिश करती है कि एचएफएल को ब्याज मुक्त ऋण को आगे बिना किसी देरी के जारी किया जाना चाहिए ताकि जिन कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस दिया जाना है उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

सरकार का उत्तर

एचएफएल की क्लोजर संबंधित देनदारियों को निपटाने के लिए एचएफएल को 77.20 करोड़ रूपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के संबंध में, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 02.03.2020 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सुझाव दिया था कि एचएफएल को प्रस्तावित भुगतान पर अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जा सकता है, जब बजट 2020-21 उपलब्ध हो जाएगा। तदनुसार, विभाग के 2020-21 के बजट में 77.20 करोड़ रूपए की ऋण राशि उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रस्ताव, भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम सहित, वित्त मंत्रालय को 22.04.2020 को भेजा गया था।.

एचएफएल को बंद करने के लिए सीसीईए के निर्णय के कार्यान्वयन के प्रकाश में विभाग के बजट में सीएफआई से 73.70 करोड़ रूपए के अग्रिम की स्वीकृति वित्त मंत्रालय ने दिनांक 11.05.2020 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा इस सलाह के साथ दी है कि रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग तदनुसार खर्च के लिए औपचारिक संस्वीकृति आदेश जारी कर सकता है। इसके आधार पर, कंपनी की क्लोजर से संबंधित देनदारियों के निपटान के लिए एचएफएल को 73.70 करोड़ रूपए, जिसमें कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस क्षतिपूर्ति देने और उनके देय बकाया का भुगतान करने के लिए राशि शामिल है, के ब्याज मुक्त ऋण को जारी करने के लिए विभाग द्वारा 19.05.2020 को औपचारिक संस्वीकृति आदेश जारी कर दिया गया है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)
[संदर्भ: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का का.ज्ञा. सं. 23011/2/2020-वित्त, तिथि: 30.06.2020]
(रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति)

सिफारिश संख्या 10

सिपेट

2.10 **समिति यह नोट करती है कि सिपेट युवाओं को पॉलीमर प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करने में सराहनीय कार्य कर रहे हैं और न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी रोजगार प्राप्त करने में सहायता कर रहे हैं और इस प्रकार देश में विदेशीधनलानेमें मदद कर रहे हैं। समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि लगभग 5 लाख छात्र अभी तक विभिन्न सिपेट केंद्रों में प्रशिक्षण/कौशलप्राप्तकरचुके हैं और इस विचार के हैं कि अधिक सिपेट केंद्र लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में युवाओं की आवश्यकता को पूरा करेंगे। समिति यह नोट कर संतुष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के छात्र भी, विशेष रूप से युवा, सिपेट में शामिल हो रहे हैं और इन क्षेत्रों की महिलाओं को सिपेट केंद्रों में प्रशिक्षण के बाद पारिश्रमिकवालीनौकरियां मिल रही हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर, समिति देश के अन्य हिस्सों में और अधिक सिपेट केंद्र खोलने की सिफारिश करती है, ताकि युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके और उन्हें लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में मदद मिल सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सिपेट केंद्रों में प्रवेश देते समय केंद्रीय सरकार के उचित आरक्षण नियमों का पालन किया जाना चाहिए। समिति को पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों जैसे अ.जा.,अ.ज.जा., ओबीसी छात्रों, महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के प्रवेश-प्राप्त और उत्तीर्ण छात्रों की जानकारी प्रदान की जाए।**

सरकार का उत्तर

2.11 भारत सरकार ने 13.04.2016 को आयोजित ईएफसी के माध्यम से 11 नए सिपेट केंद्रों के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जिनकी कुल परियोजना लागत 562.32 करोड़ रूपए होगी, जिसे भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाएगा। इन केंद्रों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। हालाँकि, अंडमान और निकोबार, नेल्लोर, गुरुग्राम, गोवा और नागपुर में कुछ नए केंद्र/उप-केंद्र भी पाइपलाइन में हैं, जिनके लिए पत्राचार किया जा रहा है।

आगे सूचित किया जाता है कि अपने केन्द्रों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश देते समय सिपेट सरकार के आरक्षण नियमों को अपनाता है। पिछले 3 वर्षों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की श्रेणी-वार संख्या नीचे दी गई है–

श्रेणी	2017-18	2018-19	2019-2020
सामान्य	24771	26551	22631
अनु. जाति	10529	9963	9428
अनु. ज. जाति	4082	3441	3303

अ. पि. व.	21764	21838	19334
पीडब्ल्यूडी	57	48	63
अल्पसंख्यक	525	479	430
ईडब्ल्यूएस	-	-	188
महिलाएं**	8328	8695	7785
योग	70056	71015	63162*

* कोविड के कारण मार्च 2020 के दूसरे सप्ताह से जारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया था।

** महिला उम्मीदवारों का चयन करते समय आरक्षण नियमों का भी पालन किया गया।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

[संदर्भ: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का का.ज्ञा. सं. 23011/2/2020-वित्त, तिथि: 30.06.2020]

(रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति)

सिफारिश संख्या 11

सिपेट का नाम परिवर्तन

2.12 समिति यह नोट करती है कि सिपेट **13** अलग-अलग दीर्घावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जैसे डिप्लोमा**,** पोस्ट डिप्लोमा**,** पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा**,** अंडर ग्रेजुएट**,** पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कार्यक्रम। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा**,** सिपेट प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के पूरे स्पेक्ट्रम में प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएँ **(**टीएसएस**)** प्रदान करता है। समिति यह पाती है कि केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी करना सिपेट संस्थान के पाठ्यक्रम के व्यापक दायरे के संदर्भ में अधिक उपयुक्त होगा। समिति का विचार है कि सिपेट द्वारा प्रस्तावित नया नाम संस्थान में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण को कहीं अधिक सटीकता से प्रदर्शित करेगा। इसलिए समिति का सुझाव है कि सिपेट का नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया जाए।

सरकार का उत्तर

2.13 सिपेट की गवर्निंग काउंसिल ने अपनी 130वीं बैठक में सिपेट का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) करने की मंजूरी दे दी और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी भी ले ली गई है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर 'सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)' करने संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने की कार्रवाई शुरू की गई है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

[संदर्भ: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का का.ज्ञा. सं. 23011/2/2020-वित्त, तिथि: 30.06.2020]

(रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति)

सिफारिश सं.13

इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉर्म्यूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी)

2.14 समिति यह नोट करती है कि इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉर्म्यूलेशन टेक्नोलॉजी **(**आईपीएफटी**)** सुरक्षित पर्यावरण के लिए नवीन और पर्यावरण-अनुकूल नई पीढ़ी के कीटनाशक तैयार करने की तकनीकी विकास तथा साथ ही कीटनाशकों और उनके अवशिष्टों का पता लगाने और विश्लेषण करने के तरीके विकसित करने में समर्पित देश का अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। कीटनाशक अवशिष्टों का पता लगाने के लिए मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण की वर्तमान और भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोगशाला उपकरणों का क्रय करने में संस्थान को सक्षम बनाने के लिए बजट अनुमान **2020-21** में **11** करोड़ रुपए की बढ़ी हुई राशि प्रदान की गई है। समिति का विचार है कि इस संस्थान की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए और समिति निम्नलिखित सिफारिशें करना चाहेगी**:-**

I. संस्थान को किसानों के उपयोग के लिए पर्यावरण के अनुकूल**,** लागत प्रभावी कीटनाशकों का विकास करना चाहिए। पूरे देश में सिंथेटिक कीटनाशकों की जगह जैव कीटनाशक विकसित किए जाने चाहिए।

II. देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मिट्टी और जल निकायों में कीटनाशकों के अवशिष्टों की मात्रा का विश्लेषण/परीक्षण किया जाना चाहिए और किसानों को विशेष रूप से फसल की खेती के लिए सही मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियां अपनाने हेतु शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर उचित उपाय किए जाने चाहिए।

III. विभाग को इस संस्थान की और अधिक शाखाएँ खोलने की व्यवहार्यता की जाँच करनी चाहिए जिससे कि देश के चारों क्षेत्रों में कम-से-कम एक संस्थान का संचालन हो सके ताकि समयबद्ध तरीके से मिट्टी और पानी का विश्लेषण किया जा सके।

सरकार का उत्तर

i) पारंपरिक और विलायक-आधारित फॉर्मूलेशनों के जोखिम और नुकसान को कम करने के लिए, आईपीएफटी ने विभिन्न उपयोगकर्ता और पर्यावरण के अनुकूल नई जेनरेशन के फॉर्मूलेशन तैयार किए हैं, जैसे सस्पेंशन कॉन्सनट्रेट्स, वॉटर डिसपर्सिबल ग्रेन्यूल्स, कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मूलेशन, कॉन्सेंट्रेटेड और माइक्रो-इमल्शन, स्प्रेडिंग फॉर्मूलेशन, सस्पो-इमल्सन, माइक्रो और नैनो एनकैप्सुलेशन, जेल और टैबलेट फॉर्मूलेशन, बायो-बॉटनिकल पेस्टिसाइड फॉर्मूलेशन।

नई जेनरेशन के फॉर्मूलेशन वांछित जैव-प्रभावकारिता प्रदान करते हैं और पारंपरिक और विलायक-आधारित फॉर्मूलेशनों के उपयोग से जुड़े नुकसान और समस्याओं को कम करते हैं। इन फॉर्मूलेशनों में कोई विलायक नहीं होता है या न्यूनतम होता है, इसलिए, उपयोगकर्ता के लिए सुरक्षित होता है और खतरों को पैदा नहीं करता है। डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट के बारीक आकार कीटनाशकों की समान या निम्न खुराक पर लक्षित कीटों पर बहुत अच्छी जैव-प्रभावकारिता प्रदान करते हैं। ये फॉर्मूलेशन त्वचा की विषाक्तता, ज्वलनशीलता और फाइटोटॉक्सिसिटी और खाद्य उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों के जोखिम को कम करते हैं। आईपीएफटी ने नई पीढ़ी के फॉर्मूलेशनों की 65 तकनीकों का सफलतापूर्वक विकास किया है। व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई तकनीकों को विभिन्न उद्योगों को हस्तांतरित किया गया है।

आईपीएफटी द्वारा विकसित ये फॉर्मूलेशन मानव स्वास्थ्य और पारंपरिक कीटनाशक फॉर्मूलेशनों के उपयोग के कारण होने वाले पर्यावरण संबंधी दुष्प्रभावों से सुरक्षा करते हैं। इन फॉर्मूलेशनों से किसानों को स्थायी कृषि में मदद मिलेगी।

ii) कृषि और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशकों के उपयोग से उनके अवशेष सतह और भूजल संसाधनों में मौजूद हो सकते हैं। साथ ही, पर्यावरण में रिलीज हुए कीटनाशकों की अतिरिक्त मात्रा को विषाक्त पदार्थ माना जाता है। प्रदूषण न केवल एग्रोकेमिकल्स के वर्तमान उपयोग के कारण होता है, बल्कि मिट्टी से उर्वर तत्वों की लीचिंग के कारण भी होता है। किसी विशेष क्षेत्र में सतह के पानी का कीटनाशक संदूषण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे फसल के खेतों की सतह के पानी के साथ निकटता, आसपास के खेतों की विशेषताएं और जलवायु की स्थिति।

आईपीएफटी पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा में बागवानी के लिए पानी और मिट्टी में कीटनाशक अवशेषों का विश्लेषण पहले से ही कर रही है। संस्थान के पास ऐसी सुविधाएँ हैं जहाँ कृषकों को एग्रीकल्चरल गुड प्रैक्टिसेज़ के अनुसार एग्रोकेमिकल्स के उद्देश्यपूर्ण उपयोग के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित किया जा सकता है।

आईपीएफटी की क्षमताओं और उद्देश्यों व इस संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने के विचार से कृषक समुदाय और जीवित प्राणियों की बेहतरी के लिए "राजस्थान की कृषि उपज में कीटनाशक अवशेषों की निगरानी" नामक एक मेगा परियोजना को मंजूरी दी है।

iii) मंत्रालय भारत के विभिन्न हिस्सों में आईपीएफटी खोलने की संभावना का पता लगाएगा, ताकि वह समयबद्ध तरीके से मिट्टी और जल का विश्लेषण करने में समर्थ हो सके।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)
[संदर्भ: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का का.ज्ञा. सं. 23011/2/2020-वित्त, तिथि: 30.06.2020]
(रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति)

सिफारिश संख्या 14

यूसीआईएल, भोपाल में जहरीले कचरे को हटाना

2.15 समिति यह नोट करके अत्यधिक चिंतित है कि भोपाल गैस रिसाव आपदा के **35** साल बाद भी विषैले कचरे का बड़ा ढेर अभी भी यूसीआईएल स्थल पर पड़ा हुआ है। इसे किसी कारण से निपटाया नहीं जा सका है। विषाक्त अपशिष्ट भूजल को दूषित कर सकता है और क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरा है। इस संबंध में**,** समिति यह नोट करती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत एक परीक्षण किया गया**,** जिसमें **350** मीट्रिक टन कचरे में से **10** मीट्रिक टन कचरे को जलाने का कार्य किया गया जो सफल रहा। इस संदर्भ में**,** समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि भारत सरकार को यूसीआईएल स्थल पर पड़े शेष जहरीले अपशिष्टों के निपटान के मामले को उठाना चाहिए और राज्य सरकार के साथ स्थल की रिमेडिएशन को और अधिक तेजी-से वर्ष **2020** के भीतर ही पूरा करना चाहिए। समिति यह महसूस करती है कि त्रासदी के **35** साल बाद भी जहरीले कचरे का निपटान केंद्र सरकार के शिथिल रवैये को दर्शाता है क्योंकि यह उचित समय है कि सफल इंसिनरेशन परीक्षण के मद्देनजर जहरीले कचरे का निपटान किया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

2.16 वर्ष 2010 में लिए गए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार खतरनाक कचरे के निपटान और भोपाल में तत्कालीन यूसीआईएल संयंत्र की मरम्मत के लिए जिम्मेदार होगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने में मध्य प्रदेश सरकार को निरीक्षण और सहायता प्रदान करने के लिए ओवरसाइट कमिटी का गठन किया था। ओवरसाइट कमिटी केवल तब ही ओवरसाइट और तकनीकी सहायता प्रदान कर सकती है, जब उसके समक्ष विचार के लिए मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव हो। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने राज्य सरकार के साथ बार-बार इस मुद्दे को उठाया है। सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की अध्यक्षता में 9 दिसंबर, 2019 को आयोजित समीक्षा बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश सरकार कचरे के निपटान के मुद्दे को सुलझाने के लिए उच्चतम स्तर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र लिखेगी। बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

[संदर्भ: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का का.ज्ञा. सं. 23011/2/2020-वित्त, तिथि: 30.06.2020]

(रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति)

अध्याय- तीन

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती :-

सिफारिश संख्या 4

प्लास्टिक पार्क की स्थापना

3.1 **समिति इस बात को नोट करती है कि विभाग प्लास्टिक पार्क योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरत आधारित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना करना है जो कि अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो कलस्टर डेवलपमेंट दृष्टिकोण के माध्यम से सामान्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है और घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताएं समेकित करके बढ़ाने और उनके साथ तालमेल बैठा रहा है। योजना का दूसरा उद्देश्य निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में योगदान करना है। इस योजना के तहत, भारत सरकार प्रतिपरियोजना 40 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा की शर्त के साथ परियोजना लागत की 50% तक अनुदान राशि प्रदान करती है।परियोजना के पहले चरण में, सरकार ने छह प्लास्टिक पार्कों को मंजूरी दी अर्थात् मध्य प्रदेश राज्य में दो और ओडिशा, असम, झारखंड और तमिलनाडु राज्यों में एक-एक। इस संबंध में, समिति यह नोट करके चिंतित है कि इनमें से किसी भी पार्क ने अपने पार्कों में वास्तविक उत्पादन गतिविधियां नहीं शुरू की है। कार्य की भौतिक प्रगति अब केवल तमोट, मध्य प्रदेश और पारादीप, ओडिशा में पूरी हुई है, जबकि इन पार्कों को 2013 में मंजूरी दी गई थी। अन्य चार पार्कों में, काम की प्रगति बहुत अच्छी नहीं है। दूसरे चरण में, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के राज्यों के लिए चार और पार्क स्वीकृत किए गए हैं जो डीपीआर चरण में हैं। प्लास्टिक के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए इन पार्कों के महत्व को देखते हुए, समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को निश्चित समय के भीतर पहले चरण के सभी छह पार्कों के पूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और उच्चतम स्तर पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाकर दूसरे चरण में स्वीकृत चार पार्कों में कार्यों को मंजूरी और शुरू किया जाए।**

सरकार का उत्तर

3.2 विभाग लगातार प्लास्टिक पार्कों की प्रगति की निगरानी करता है और प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करके समीक्षा बैठकें आयोजित करके और साइट के दौरे आदि करने के द्वारा राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। योजना संचालन समिति (एसएससी) भी प्लास्टिक पार्कों की प्रगति की समीक्षा करती है। राज्य सरकारें, उद्योग संघों द्वारा आयोजित विभिन्न आयोजनों में प्लास्टिक पार्कों के विपणन के माध्यम से सभी प्रयास कर रही हैं और वे आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं भी पेश रही हैं।

यह प्रगति की निगरानी का नतीजा है कि तामोट (मध्य प्रदेश) प्लास्टिक पार्क का भौतिक बुनियादी ढांचा लगभग पूरा हो गया है और पारादीप (ओडिशा) में यह पूरा होने के करीब है। बिलौआ (मध्य प्रदेश) और झारखंड प्लास्टिक पार्क अच्छी प्रगति दिखा रहे हैं, हालांकि उत्तर पूर्व क्षेत्र के विशिष्ट मुद्दों के कारण तिनसुकिया (असम) प्लास्टिक पार्क की प्रगति धीमी है। तमिलनाडु प्लास्टिक पार्क ने भी अपना कार्य, कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी टीएनआईडीसीओ को दे दिया है, जिसे विश्वास है कि कार्य समय पर पूरा हो जाएगा।

उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के राज्यों को प्रदान की गई 'सैद्धांतिक' अनुमोदन की नियमित रूप से समीक्षा की गई और अब उत्तराखंड ने अपनी संशोधित डीपीआर प्रस्तुत की है, जो एक समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन है। हरियाणा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी भी इसका अनुपालन नहीं किया है और उन्हें दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए अंतिम अवसर दिया जा रहा है, जिसमें असफल रहने पर उन्हें दिया गया 'सैद्धांतिक' अनुमोदन उनसे वापस ले लिया जाएगा।

:

अध्याय-4

टिप्पणियां /सिफारिशें जिनके सम्बन्ध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

सिफारिश संख्या 12

प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन केंद्रों (डब्ल्युएमसीएस) को स्थापित किया जाना

4.1 समिति यह नोट करती है कि सिपेट के चार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (डब्ल्युएमसीएस) अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना और वाराणसी केंद्रों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। विभाग ने इन डब्ल्यूएमसीएस की स्थापना के लिए वित्त मंत्रालय से 2019- 20 के दौरान 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मांगी लेकिन यह प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में डब्ल्यूएमसीएस के लिए भूमि की पहचान करने का कार्य प्रगति पर है। इस संबंध में, समिति का मानना है कि शहरों में दैनिक रूप से संचित हो रहे बड़ी मात्रा में कचरे, विशेष रूप से प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करने के लिए डब्ल्युएमसीएस बहुत आवश्यक है। इसलिए, समिति का सुझाव है कि विभाग और सिपेट द्वारा इन चार डब्ल्युएमसीएस को समयबद्ध तरीके से स्थापित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। वित्त मंत्रालय को इन केंद्रो के महत्व के बारे में अवगत कराकर इस उद्देश्य के लिए वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान/अनुपूरक मांग में बजटीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही, देश के अन्य शहरों में भी डब्ल्युएमसीएस स्थापित किए जाने चाहिए।

सरकार का उत्तर

4.2 प्लास्टिक से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों का हल करने के लिए, भारत सरकार ने देश में अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना और वाराणसी में चार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (पीडब्ल्यूएमसी) को मंजूरी दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर जागरूकता पैदा करना, अंतिमउपयोगवालेप्रयोग के लिए कम लागत वाले रीसाइकिल किए गए प्लास्टिक मैटेरियल ग्रेडों को बढ़ावा देना, प्लास्टिक रीसाइक्लिंग में उद्यमी विकास, प्रसंस्करणकर्ताओं के साथ कचरा उठाने वालों को जोड़ना, रीसाइक्लिंग तकनीक के क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से जनशक्ति विकास, कचरे से धन की अवधारणाओं का उपयोग करके व्यापार और रोजगार के अवसर पैदा करना और देश में प्लास्टिक कचरे के निपटान के मुद्दे से निपटने के लिए तकनीकी रूप से मदद करना भी है।

स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श से सिपेट अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना और वाराणसी में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों (पीएमडब्ल्यूसी) की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने की प्रक्रिया में है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)
[संदर्भ: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का का.ज्ञा. सं. 23011/2/2020-वित्त, तिथि: 30.06.2020]
(रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति)

अध्याय- 5

सिफारिशें/ टिप्पणियों, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

सिफारिश संख्या 6

एचओसीएल की भूमि की बिक्री

5.1 समिति ने यह नोट किया है कि भारत सरकार ने **17.05.2017** को एचओसीएल के लिए एक पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है। अब तक सरकार द्वारा अनुमोदित कुल लगभग **684** एकड़ भूमि में से बीपीसीएल हेतु बिक्री के लिए, केवल लगभग **375** एकड़ की बिक्री और पंजीकरण पूरा हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बीपीसीएल द्वारा खरीदी गई जमीन की बाड़ लगाने के विरोध और बीपीसीएल को एचओसीएल भूमि बिक्री के संबंध में ग्रामीणों की चिंताओं और मांगों पर ध्यान देने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित कोंकण के संभागीय आयुक्त के तहत समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के कारण शेष लगभग **309** एकड़ भूमि की बिक्री कानून और व्यवस्था की स्थिति से प्रभावित हुई है। इस संबंध में, समिति ने यह नोट किया है कि मुद्दों के समाधान में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर इस मामले का अनुसरण किया जा रहा है। समिति स्थानीय लोगों को भूमि के स्वामित्व के बारे में आश्वस्त करके और उन्हें वैकल्पिक भूमि या राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त मुआवजा प्रदान करके जल्द से जल्द इस मुद्दे को हल करने की सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

5.2 महाराष्ट्र में एचओसीएल की रसायनी इकाई, जिसे कंपनी की पुनर्गठन योजना के तहत बंद कर दिया गया था, के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा 1960 के दशक में अधिग्रहित की गई थी। एचओसीएल ने कहा है कि भूमि मालिकों को पूरा मुआवजा दिया गया था और कंपनी ने परियोजना से प्रभावित लोगों को रोजगार

भी दिया था। भू-राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, एचओसीएल भूमि का पूर्ण स्वामी और मालिक है। इसके अलावा, रासायनी में 684 एकड़ भूमि, जिसे अब तक सरकार द्वारा बीसीपीएल को बिक्री के लिए अनुमोदित किया गया है, की बिक्री और पंजीकरण की प्रक्रिया को महाराष्ट्र सरकार द्वारा भूमि की बिक्री के लिए एचओसीएल को जरूरी एनओसी दे दिए जाने के बाद ही शुरू किया गया था।

रसायनी (और पनवेल में लगभग 7 एकड़) में एचओसीएल की भूमि के निपटान में देरी के मुद्दों के समाधान के लिए, सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसायन) और मुख्य सचिव, महाराष्ट्र द्वारा सभी संबंधित हितधारकों के साथ एक बैठक 12.02.2020 को आयोजित की गई थी। इस विभाग/एचओसीएल (सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन द्वारा मुख्य सचिव, महाराष्ट्र को संबोधित 28.05.2019 के अर्धशासकीय पत्र सहित) द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के बाद राज्य सरकार द्वारा बैठक का कार्यवृत्त 02.06.2020 को जारी किया गया है। कार्यवृत्त के अनुसार बैठक में निम्नलिखित चर्चा की गई थी और निर्णय लिए गए थे:

(i) बीपीसीएल के पक्ष में पहले से पंजीकृत भूमि के लिए, राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि बीपीसीएल भूमि का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सके और क्षेत्र में बाड़ लगा सके।

(ii) पनवेल में एचओसीएल की भूमि की बिक्री के लिए एनओसी और रासायनी में आईओसीएल को भूमि की बिक्री के लिए संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा तेजी से कार्रवाई की जाएगी।

(iii) परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों की शिकायतों पर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है और उक्त रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(iv) एचओसीएल की भूमि पर यहां-वहां जिन ग्रामीणों के घर हैं, उनकी चिंताओं के बारे में, इस मुद्दे का हल करने के लिए, मंडल आयुक्त, कोंकण द्वारा कुछ मुआवजे के भुगतान का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

उपरोक्त मुद्दों पर एचओसीएल द्वारा बीपीसीएल और राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ कार्रवाई की जा रही है। रासायनी और पनवेल में एचओसीएल की भूमि के निपटान के लिए आगे आवश्यक कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा उक्त मुद्दों पर की गई प्रगति के आधार पर की जाएगी।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)
[संदर्भ: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का का.ज्ञा. सं. 23011/2/2020-वित्त, तिथि: 30.06.2020]
(रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति)

सिफारिश संख्या 7

एचओसीएल की कोच्चि इकाई

5.3 **समिति यह जानकर निराश है कि कम कीमतों पर फिनोल का आयात एचओसीएल कोच्चि इकाई के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। कोच्चि इकाई ने वित्त वर्ष 2018-19 में 472 करोड़ रुपये का टर्नओवर और 22.47 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त किया था, लेकिन कम कीमतों पर फिनोल के आयात ने एक बार फिर इकाई को वित्त वर्ष 2019-2020 (3.2.2019 तक) में 58.49 करोड़ के शुद्ध नुकसान की ओर धकेल दिया है। इस संबंध में, एचओसीएल ने डीजीटीआर, वाणिज्य मंत्रालय को फिनोल आयातों पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने और यूएसए और थाईलैंड से फिनोल आयातों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए भी आवेदन किया है। समिति दृढ़ता से यह सिफारिश करती है कि विभाग को एचओसीएल की शिकायत को हल करने के लिए फिनोल पर सेफगार्ड ड्यूटी और एंटी-डंपिंग ड्यूटी को लागू करने के लिए मामले को और अधिक सख्ती से वाणिज्य मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए ताकि एक और सार्वजनिक उपक्रम को बंद किये जाने को रोका जा सके।**

सरकार का उत्तर

5.4 मेसर्स एचओसीएल और अन्य फिनोल निर्माताओं के आवेदन को माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री के अनुमोदन से फिनोल के आयात पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने के लिए 30.10.2019 के का.ज्ञा. के द्वारा व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर), वाणिज्य विभाग को भेज दिया गया था। दिनांक 15.11.2019 और 28.02.2020 के अनुस्मारकों के बावजूद फिनोल के आयात पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की स्थिति रिपोर्ट डीजीटीआर से प्राप्त नहीं हुई है।

फिनोल का विनिर्माण करने वाले मेसर्स हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल), मेसर्स दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड और मेसर्स एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की संयुक्त याचिका को कस्टम टैरिफ एक्ट के अनुसार पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ थाईलेंड और यूएसए से फिनोल के आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाए जाने के लिए दिनांक 27.02.2020 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा डीजीटीआर को भेज दिया गया था।

थाईलैंड और यूएसए से फिनोल के आयात पर अनंतिम/अंतरिम एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने के एचओसीएल के अनुरोध की जांच करने के लिए सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसायन) की ओर से सचिव, वाणिज्य विभाग को 13.05.2020 को एक अर्धशासकीय पत्र भेजा जा चुका है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

[संदर्भ: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का का.ज्ञा. सं. 23011/2/2020-वित्त, तिथि: 30.06.2020]

(रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति)

सिफारिश संख्या 9

एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड

5.5 समिति का मानना है कि एचआईएल **(**इंडिया**)** लिमिटेड की अधिकृत और सशुल्क शेयर पूंजी क्रमशः **100** करोड़ रु.और **91.33** करोड़ रु**.** है। इसके **100%** शेयर भारत सरकार के पास हैं। समिति यह जानकर संतुष्ट है कि **2006-07** में स्वीकृत पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के बाद**,** एचआईएल लगातार लाभ अर्जित कर रहा है। एचआईएल **(**इंडिया**)** लिमिटेड ने अब फसलों और सब्जियों के लिए बीज**,** उर्वरकों**,** जैव कीटनाशकों और जैव-उर्वरकों के व्यापार जैसे उत्पादों और व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला में कदम रखा है। समिति को अवगत कराया गया था कि एचआईएल **(**इंडिया**)** लिमिटेड ने कंपनी के टर्नओवर को वर्ष **2024** तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ आत्मनिर्भरता के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई है। समिति को एचआईएल **(**इंडिया**)** लिमिटेड की एक व्यापक योजना के बारे में बताया गया और समिति का विचार है कि यदि योजना को क्रियान्वित किया जाता है तो यह न केवल एचआईएल **(**इंडिया**)** लिमिटेड के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक होगा और रोजगार सृजन को बढ़ावा भी मिलेगा। हालाँकि समिति यह भी नोट करती है कि यह योजना एचआईएल के अधीन है**,** जो **200** करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी और **200** करोड़ रुपये की सीएपीईक्स के लिए निधियां सृजित करने में सक्षम है। इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि विभाग उपरोक्त उल्लिखित योजना को प्राप्त करने के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने में एचआईएल इंडिया की मदद करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। विभाग को अपने अनुसंधान और विकास प्रयासों में एचआईएल की वित्तीय मदद भी करनी चाहिए। इसके अलावा समिति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एनवीबीडीसीपी से डीडीटी आपूर्ति के लिए भुगतान में निरंतर देरी पर गंभीर विचार करती है जो एचआईएल की कार्यशील पूंजी को प्रभावित करती है। इस संबंध में समिति यह सिफारिश करती है कि मामले को उस मंत्रालय के साथ डीडीटीसंबंधीजल्दभुगतान के लिए उच्चतम स्तर पर उठाया जाना चाहिए। समिति की यह सिफारिश उसके द्वारा की गई विशिष्ट कार्यवाही संबंधीउत्तर के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए।

सरकार का उत्तर

5.6 वित्त मंत्रालय के दिनांक 03.02.2016 के का.ज्ञा., जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि भारत सरकार से सीपीएसयू में निवेश और कार्यशील पूंजी ऋण देने की विंडो बंद हो गई है, को ध्यान में रखते हुए विभाग के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह एचआईएल को कार्यशील पूंजीगत धन के लिए कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता/बजटीय सहायता प्रदान करे। हालांकि, कंपनी को अपनी लिक्विडिटी की कमी से निपटने के लिए और निकट भविष्य में अपने व्यापार के संचालन को सुचारू रूप से और लाभप्रद रूप से चलाने में मदद के लिए, विभाग ने भारत सरकार की गारंटी प्रदान करने के लिए एचआईएल के प्रस्ताव पर कार्रवाई की है, ताकि वह किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से 100 करोड़ रूपए का अतिरिक्त कार्यशील पूंजीगत ऋण लेने के लिए समर्थ हो सके और विभाग ने उस प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय को भेज दिया है।

एचआईएल को उसके आरएंडडी प्रयासों में मदद करने के लिए, आईपीएफटी और सिपेट (विभाग के तहत स्वायत्त निकाय), जो पेस्टीसाइड फॉर्मूलेशन, पॉलिमेरिक मैटेरियल्स आदि के क्षेत्र में आरएंडडी कार्यकलापों में लिप्त हैं, के अनुसंधान और विकास गतिविधियों के परिणाम एचआईएल के साथ भी साझा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, सिपेट ने एलएलआईएन प्रौद्योगिकी के विकास में सिपेट की सहायता की है और आईपीएफटी नीम-आधारित बॉटेनिकल पेस्टीसाइड के व्यावसायीकरण में एचआईएल की सहायता कर रहा है।

एनवीबीडीसीपी/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डीडीटी से संबंधित भुगतान में देरी के संबंध में सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसायन) ने दिनांक 11.05.2020 के अर्धशासकीय पत्र द्वारा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को समिति की चिंता और सिफारिश के बारे में सूचित कर दिया गया है और साथ ही एचआईएल के डीडीटी से संबंधित भुगतान/ब्याज दावे पर पुनर्विचार (वेटिंग) में तेजी लाने का अनुरोध किया है। *एनवीबीडीसीपी ने दिनांक 15.06.2020 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि डीडीटी संबंधी भुगतान और कंपनी के ब्याज दावे से संबंधित मुद्दों का हल करने के लिए अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की जा रही हैं और यह कि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का निर्णय, यदि कोई हो, उचित समय पर बता दिया जाएगा।*

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

[संदर्भ: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का का.ज्ञा. सं. 23011/2/2020-**वित्त, तिथि:** 30.06.2020]

सिफारिश संख्या 15

बीजीएलडी के पीड़ितों को मुआवजा

5.7 समिति यह नोट करती है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अनुग्रह-राशि का मुआवजा देने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। कल्याण आयुक्त का कार्यालय जो कि एक न्यायिक निकाय है, पीड़ितों को मुआवजे/अनुग्रह-राशि प्रदान/वितरण करता है। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन द्वारा जमा की गई मुआवजा राशि में से 5,74,393 दावेदारों को मुआवजे के रूप में 1549.32 करोड़ रुपये दिए जाना तय किया गया था। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा तय किए गए अनुसार 49,972 पीड़ितों को अनुग्रह-राशि के रूप में 835.06 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अनुग्रह-राशि का संवितरण अभी भी जारी है। समिति यह नोट करती है कि कैंसर और गुर्दे पूरी तरह से खराब हो जाने के मामले में केवल 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। चूंकि यह राशि पर्याप्त नहीं हो सकती, इसलिए समिति का सुझाव है कि इन दो मामलों में अनुग्रह-राशि को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है ताकि पीड़ितों को कैंसर और गुर्दे पूरी तरह से खराब हो जाने के मामले में उचित उपचार मिल सके। इसके अलावा, समिति का सुझाव है कि सभी पीड़ितों को ज्यादा अपील प्रक्रियाओं के बिना, मुआवजे/अनुग्रह-राशि देने के लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए, ताकि उन्हें मुआवजा/अनुग्रह-राशि शीघ्र प्राप्त हो सके।

सरकार का उत्तर

5.8 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर, विभिन्न श्रेणियों के तहत भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करने के लिए 874.28 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। कैंसर और टोटल रीनल फेल्योर अनुग्रह अनुदान के तहत दो श्रेणियां हैं, जिसमें प्रति पीड़ित 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। इन दो श्रेणियों में राशि बढ़ाने के लिए समिति की सिफारिश नोट कर ली गई है और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और वित्त मंत्रालय के परामर्श से मामले की जांच करेगा। बिना किसी अपील के सभी पीड़ितों को मुआवजा/अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए कदम उठाने के बारे में समिति की सिफारिश को भी नोट कर लिया गया है और इसे कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के कार्यालय और मध्य प्रदेश सरकार के साथ उठाया जाएगा।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)
[संदर्भ: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का का.ज्ञा. सं. 23011/2/2020-वित्त, तिथि: 30.06.2020]
(रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति)

नई दिल्ली; **कनिमोझी करुणानिधि**

..... **फरवरी**, 2021 **सभापति**

.... **माघ**, 1942 (**शक**) **रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति**

*****

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन) की अनुदान मांगों (2020-2021) पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के छठे प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।

I	सिफारिशों की कुल संख्या	15
II	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है सिफारिश सं. 1,2,3,5,8,10,11,13 और 14 देखें	
	प्रतिशत	60%
III	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती :- सिफारिश सं. 4 देखें	
	प्रतिशत	6.67%
IV	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार का उत्तर स्वीकार नहीं किया हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:- सिफारिश सं. 12 देखें	
	प्रतिशत	6.67%
V	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:- सिफारिश सं. 6,7,9 और 15 देखें	
	प्रतिशत	26.66%

की पहली बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 12 अक्तूबर, 2020 को 1100 बजे से 1145 बजे तक समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दीपक बैज
3. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
4. श्री कृपानाथ मल्लाह
5. श्री सत्यदेव पचौरी
6. श्री अरुण कुमार सागर
7. श्री उदय प्रताप सिंह
8. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

राज्य सभा

9. श्री एम. वी. श्रेयम्स कुमार
10. श्री जयप्रकाश निषाद
11. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
12. श्री अरूण सिंह
13. श्री ए. डी. सिंह
14. श्री विजय पाल सिंह तोमर
15. श्री के वेंलेल्वना

सचिवालय

1. श्री मनोज कुमार अरोड़ा - विशेष कार्य अधिकारी (लोक सभा सचिवालय)
2. श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव - निदेशक
3. श्री पन्नालाल - अवर सचिव

<u>सत्र –I</u>

Xxx xxx xxx xxx

<u>सत्र-II</u>

Xxx xxx xxx xxx

2. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों को विचारोपरांत स्वीकार करने के लिए लिया:

(एक) अनुदानों की मांगों 2019-20 (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) से संबंधित की गई कार्रवाई प्रतिवेदन;
(दो) अनुदानों की मांगों 2019-20 (उर्वरक विभाग) से संबंधित की गई कार्रवाई प्रतिवेदन;
(तीन) अनुदानों की मांगों 2019-20 (औषध विभाग) से संबंधित की गई कार्रवाई प्रतिवेदन;
(चार) उर्वरक राजसहायता के प्रणालीगत अध्ययन (उर्वरक विभाग) से संबंधित की गई कार्रवाई प्रतिवेदन;

(पांच) अनुदानों की मांगों 2020-21 (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) से संबंधित प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदन;

(छह) अनुदानों की मांगों 2020-21 (उर्वरक विभाग) से संबंधित की गई कार्रवाई प्रतिवेदन; और

(सात) अनुदानों की मांगों 2020-21 (औषध विभाग) से संबंधित की गई कार्रवाई प्रतिवेदन।

3. विचारोपरांत उपर्युक्त प्रारूप की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को समिति ने किसी बदलाव/ संशोधन के बिना सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। समिति ने सभापति को इन की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और इन्हें संसद में प्रस्तुत करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

4. समिति ने नवम्बर, **2020** के दूसरे सप्ताह में संभावित दूसरी बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई ।

Xxx यह सामग्री इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।